2/13/10

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. निगरानी/टीए/5604/2011/जयपुर

2. निगरानी/टीए/5605/2011/जयपुर

1. ओमकार
2. श्रीराम
3. लालचन्द

पुत्रगण स्व0 भूरा हरियाणा ब्राह्मण निवासीगण धवली तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र प्रभुदयाल
2. प्रभुदयाल पुत्र स्व0 नारायण | जाति ब्रा0 निवासी धवली तह0
3. लल्लूलाल पुत्र स्व0 नारायण | शाहपुरा जिला जयपुर ।
4. मेनादेवी पुत्री बिरदी देवी
5. प्रेमदेवी पुत्री बिरदी देवी निवासी धवली तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ।
6. ओमप्रकाश
7. लाला
8. बाबूलाल
9. किशोरीलाल

पुत्रगण ईसर हरि ब्राह्मण निवासीगण धवली तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ।

10. देउ पत्नि रामनाथ पुत्री स्व0 पांचू हरियाणा ब्राह्मण निवासी कुशलपुरा वाया चौमू जिला जयपुर

11. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

एकलपीठ (कैम्प जयपुर)

श्री बी.एल.गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः-

श्री आत्माराम शर्मा अभिभाषक, प्रार्थीगण

श्री जी.बाढ़दार,अभिभाषक, केवियटकर्ता अप्रार्थीगण

Maew

निर्णय

दिनांक 13-10-2011

हस्तगत दोनों निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम)की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा वाद संख्या 72/2005 में पारित प्रारंभिक डिक्री दिनांक 17-1-06 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 21-3-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना-पत्र संख्या 79/2006 एवं 06/2007 को अस्वीकार कर दिए जाने के कारण प्रस्तुत की गई हैं। दोनों निगरानियों में पक्षकार, तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संलग्न की जावे ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी वादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर के न्यायालय में एक वाद बाबत बंटवारा, सीमाज्ञान, रकबा विनिश्चयकरण तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थी/प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थी/वादी संख्या 6 लगायत 11 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में कुल किता 28 रकबा 7.81 हेक्टेयर वाके ग्राम धवली तहसील शाहपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र में वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन करने की प्रार्थना की गई । वाद पत्र में यह भी अंकित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के व्यक्ति हैं । विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा पक्षकारान के मध्य बंटवारे हेतु तहसीलदार, शाहपुरा से प्रस्ताव मांगे गए । उभय पक्ष की उपस्थिति में बंटवारा रिपोर्ट तैयार की गई । प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से रिपोर्ट बंटवारे पर आपत्ति प्रस्तुत किए जाने पर उनको सुनकर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण की आपत्ति का निस्तारण किया । जिसके आधार पर प्रारंभिक डिक्री एवं तत्पश्चात अंतिम डिक्री पारित की गई । विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 72/05 में प्रारंभिक डिक्री दिनांक 17-1-06 पारित की गई । प्रारंभिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अंतिम डिक्री दिनांक 21-3-06 पारित की गई । उपरोक्त प्रारंभिक डिक्री से व्यथित होकर प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के यहां पुर्नविलोकन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 229 अधिनियम सपठित आदेश 23 नियम 3 एवं धारा 151 सी.पी.सी. 79/06 प्रस्तुत किया गया । प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा दूसरा पुर्नविलोकन प्रार्थना-पत्र संख्या 06/07 निर्णय एवं डिक्री दिनांक

21-3-06 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया । उक्त दोनों पुर्नविलोकन प्रार्थना-पत्र विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सुनवाई कर निरस्त कर दिए गए जिससे व्यथित होंकर प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा ये निगरानियां प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रस्तुत निगरानी के पक्ष में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सहमति लिखित अथवा मौखिक बंटवारे के संबंध में प्रदान नहीं की गई थी फिर भी विचारण न्यायालय ने दिनांक 17-1-06 को प्रारंभिक डिक्री एवं तत्पश्चात दिनांक 21-3-06 को अंतिम डिक्री पारित कर दी । उनके द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन प्रार्थना-पत्र संख्या 79/06 एवं 06/07 भी विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8-6-11 द्वारा अनुचित एवं अवैध रूप से खारिज कर दिया । उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही डिक्री एवं निर्णय पारित करने में गंभीर भूल की है । उनका यह भी कथन है कि दिनांक 17-1-06 को प्रार्थी ने किसी भी प्रकार का कोई राजीनामा लिखित या जुबानी पेश नहीं किया । विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17-1-06 में मात्र एक व्यक्ति श्रीराम का ही अंगूठा लगा हुआ है । उनका यह भी कथन है कि उनके अभिभाषक को उन्होंने उक्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देने के संबंध में कभी कोई अनुदेश प्रदान नहीं किए थे । इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय भूरा ने पूर्व में एक दावा इन्हीं भूमियों के संबध में भूरा बनाम चौथू प्रस्तुत कर रखा है जो आज भी विचारण न्यायालय में लम्बित है । एक अन्य वाद रजिस्ट्री निरस्तीकरण का दीवानी न्यायालय में लम्बित है । जब पक्षकारान के समक्ष दो वाद लम्बित है तो विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी रूप में सहमति देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । तहसीलदार, शाहपुरा ने मौके पर कुरेजात नहीं बनाये और ना ही किसी भी प्रकार का नोटिस उन्हें दिया । अतः जो अन्तिम डिक्री पारित की गई है वहे निरस्तनीय है । उनका कथन है कि वादी एव प्रतिवादीगण के सजरा खानदान को विचारण न्यायालय ने सही ढंग से नहीं समझा है । अतः जो डिक्री पारित की है वह विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है । इस प्रकार Error apperent on the face of record पर गौर नहीं कर पुर्नविलोकन प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-6-2011 को निरस्त किया जावे ।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी द्वारा जो पुर्नविलोकन प्रार्थना-पत्र प्राथमिक डिक्री दिनांक 17-1-06 के विरूद्ध पेश किया

गया है वह इस स्टेज पर चलने योग्य नहीं है । प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 230 अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र प्रारंभिक आपत्ति के अधीन ही सरसरी रूप से खारिज किए जाने योग्य होने के कारण पोषणीय नहीं है । प्रार्थीगण यदि किसी प्रकार अंतिम डिक्री से व्यथित थे तो उन्हें अपील करनी चाहिए थी । ऐसी स्थिति में धारा 97 की बाध्यता से बचने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से पुर्नविलोकन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जो कतई पोषणीय नहीं है । तहसीलदार से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर बाद सुनवाई प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की आपत्ति अस्वीकार करते हुए अन्तिम डिक्री पारित की गई है जो बिल्कुल सही है । यदि प्रार्थी प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति थी तो वे उक्त डिक्री के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते थे।

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का तथा न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 8-6-2011 में यह स्पष्ट अंकन किया है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण को यदि उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21-3-06 के विरूद्व कोई आपत्ति थी तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। प्रस्तुत पुर्नविलोकन प्रार्थना-पत्र की आड़ में उन्हें अपील के प्रावधान के तहत प्राप्त होने वाली राहत प्रदान नहीं की जा सकती । पक्षकारान व उनके अधिवक्ता ने मुताबिक जमाबन्दी दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारे किए जाने की दिनांक 17-1-06 को सहमति प्रदान करते हुए अपने हस्ताक्षर किए है । अतः इस खण्ड में वर्णित अनुसार सजरा खानदान पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं था । प्रार्थी के पिता भूरा द्वारा दायर वाद दिनांक 17-1-05 न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है । इस प्रकार पूर्व का कोई दावा लम्बित नहीं था । विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी अंकित किया है कि जिन तथ्यों पर एक बार विचार या विवेचन किया जा चुका है उन पर नजरसानी के माध्यम से दुबारा विचार नहीं किया जा सकता । नजरसानी का क्षेत्र बहुत सीमित होता है तथा आलोच्य निर्णय में Error apperent on the face of record होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। नजरसानी के प्रार्थना-पत्र को अपील के तौर पर नहीं लिया जा सकता । यदि गुणावगुण के आधार पर कोई गलती पाई जाती है तो उसे उक्त निर्णय के विरूद्व अपील में ही चुनौती दी जा सकती है ।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/वादी ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। ए.आई.आर. 1995 पृष्ठ 455 एससीसी, ए.

आई.आर. 1997 पृष्ठ 715 एससीसी, ए.आई.आर. 1987 (1) पृष्ठ 61 एससीसी । ए.आई.आर. 1995 पृष्ठ 455 एससीसी, श्रीमती मीरा भंजा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी प्रकरण मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में पुर्नविलोकन का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है । उक्त आदेश के तहत न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में निर्णय पारित नहीं करता है । Error apperent on the face of record से तात्पर्य ऐसी गलती से है जो अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट प्रतीत होती है उसी को पुर्नविलोकन प्रार्थना-पत्र के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है । इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कहा है कि नजरसानी के प्रकरण में वाद के तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय करता है ।

उपरोक्त नजीरों से यह भली-भाँति पुष्ट होता है कि नजरसानी का क्षेत्र बहुत सीमित है । हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना-पत्र के माध्यम से वास्तव में वह दादरसी चाही जा रही है जो उसे अंतिम डिक्री के विरुद्ध अपील में ही प्राप्त हो सकती है । अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 8-6-2011 द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन प्रार्थना-पत्र को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

7. फलस्वरूप ये दोनों निगरानियां सारहीन होने से एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 13-10-2011 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/X/2011
(बी.एल.गुप्ता)
सदस्य